राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 ( )आकाशि/नि.सं./2022/ 16 दिनांकः– 10/1/23

आदेश

"स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बंधाला शिक्षण एवं शोध संस्थान, चौमू जयपुर "द्वारा संचालित स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बंधाला गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, चौमू जयपुर" जो कि विभाग द्वारा सत्र 2011–12 से स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। विभाग के पूर्व आदेश दिनांक 28.12.2004, 20.06.2006 एवं 04.01.2010 के तहत स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र धारक निजी महाविद्यालय नवीन विषय/संकाय में सीधे ही संबंधित विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। उक्त संस्था द्वारा **सत्र 2012–13 से स्नातकोत्तर स्तर विषय संस्कृत, हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल एवं इतिहास एवं सत्र 2013–14 से रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान विषयों की सम्बद्धता संबंधित विश्वविद्यालय से** प्राप्त की है।

निजी महाविद्यालय नीति बिन्दु 32 के तहत उक्त विषयों का नियमतीकरण करते हुए सत्र 2022–23 से स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक ;नि.सं.
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (91)आकाशि/नि.सं./2007/1861 दिनांकः- 25-6-18

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2018–19 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय व विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षण एवं शोध संस्थान, चौमू, जयपुर।	स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बधाला गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, चौमू, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातकोत्तर स्तर पर– कला संकाय–अंग्रेजी साहित्य। विज्ञान संकाय– वनस्पतिशास्त्र।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेंगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय–समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2017–18 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट **www.dce.rajasthan.gov.in** से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल **www.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा।

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ 4 (69) आकाशि/अनु/2007/ 8083 दिनांकः– 13/12/2011

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011–12 से पूर्व मे आवंटित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:–

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	69	स्व0 कु0 लक्ष्मी वधाला गर्ल्स कालेज	गोविन्दगढ़, चौमूं जिला जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय एवं संकाय

नोट– संस्था 6 माह में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक स्टॉफ का अनुमोदन पत्र प्राप्त कर संलग्न करें।

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्वन प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष निदेशालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।

निदेशक
कालेज शिक्षा राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)

7/6/10

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ 4 (69) आकाशि/अनु/07/648 दिनांक 31/5/10

07-6-10

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2010–11 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृत की जाती है :

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	69	स्व0कु0 लक्ष्मी बधाला गर्ल्स पी. जी. कालेज, एन.एच.11 राजकीय स्टेडियम के पास, गोविन्दगढ़, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित संकाय एवं विषय तथा नवीन वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त– एबीएसटी, ईएएफएम, व्यावसायिक प्रशासन

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी ।
2. संस्था को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड पूर्ण कर अगले सत्र से पहले निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा मापदण्डों के अभाव में संस्था के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जावेगी।
3. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड :–
   - (i) यूजीसी योग्यताधारी स्थायी स्टाफ पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन
   - (ii) मानदण्डानुसार संस्था के नाम भूमि व भवन
   - (iii) स्टाफ का बैंक द्वारा वेतन का भुगतान
   - (iv) समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती
   - (v) समुचित छात्र सुविधाओं का विकास
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
7. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेंगी ।
8. संस्था आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।
9. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
7. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (69/307) आकाशि/अनु/07/ 1421 दिनांक 15 मई 2009

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2009–10 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है–

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	307	स्व0 कुमारी लक्ष्मी बधाला गर्ल्स कॉलेज,	राज0 स्टेडियम के पास, गोविंदगढ–चौमू–जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय संकाय

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा [illegible] महाविद्यालय के प्रकरण में [illegible] विश्वविद्यालय सम्बद्धता पर अनुमोदन भी प्राप्त करेगी ।
2. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2010–11 में केवल पार्ट द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध और सत्र 2011–12 में केवल पार्ट तृतीय में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
3. आगामी सत्रों में पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान गैर राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट – द्वितीय में उल्लिखित भूमि भवन, स्टाफ व अन्य समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरे से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था भविष्य में समय पर सभी मापदण्डों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी ।
7. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी ।
8. संस्था आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण कर [illegible] निर्धारित समय [illegible]

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली ।
11. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान),
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

08
5-9-2008

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (69/311) आकाशि/अनु/07/9350 दिनांक 1/9/2008

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2008–09 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृत की जाती है–

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	311	स्व कु. लक्ष्मी बधाला गर्ल्स कॉलेज	एन. एच. 11, राजकीय स्टेडीयम के पास, गोविन्दगढ, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित विषय एवं संकाय के अतिरिक्त कला संकाय में गृह विज्ञान विषय

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से विश्वविद्यालय सम्बद्धता पर अनुमोदन भी प्राप्त करेगी ।
2. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2009–10 में केवल पार्ट द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध और सत्र 2010–11 में केवल पार्ट तृतीय में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
3. **आगामी सत्रों में पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान गैर राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट – द्वितीय में उल्लिखित भूमि भवन, स्टाफ व अन्य समस्त शर्तो की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरे से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।**
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था भविष्य में समय पर सभी मापदण्डों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी।
7. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेंगी ।
8. संस्था आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय **(रजिस्टर्ड ए.डी.)**
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
11. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान),
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालयय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/ महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
10. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु महाविद्यालय को प्रति वर्ष 1 जुलाई से 30 सितम्बर के बीच आवेदन करना होगा ।
11. स्वीकृत पाठ्यकमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/ महाविद्यालय द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा ।
12. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
13. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जावेगा ।
14. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी।
15. तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना आवश्यक है ।
16. संस्था को महाविद्यालय का वर्ष में एक बार निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा, इस हेतु संस्था द्वारा इस विभाग को सूचित करना होगा ।
17. संस्था आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।
18. उपरोक्त शर्तो के पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

कमाक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007–08/ 1702 दि0 7 मई, 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर/ एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलेक्टर, जयपुर/ झुंझुनु/ श्रीगंगानगर/ बांसवाडा ।
8. सम्बन्धित महाविद्यालय ।
9. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली ।
12. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007–08/1702 दि0 9 मई, 2007

आदेश

सत्र 2007–08 में **महिला क्षेत्र** में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तो पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है –

क्र. सं.	पत्रा. सं0	संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	विषय एवं संकाय (स्नातक स्तर)
1	15	मनिन्द्र बाल निकेतन समिति, चनाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू	मनिन्द्र गर्ल्स कॉलेज, चनाना, त. चिडावा, जिला झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजस्थानी, बोकेशनल कोर्स कम्प्युटर एप्लीकेशन
2	12	स्व.कु. लक्ष्मी बंधाला शिक्षण एवं शोध संस्थान, गोविन्द गढ, जि0 जयपुर	स्व.कु.लक्ष्मी बघाला गर्ल्स कॉलेज, गोविन्दगढ, जि0 जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, बोकेशनल कोर्स कम्प्युटर एप्लीकेशन, संस्कृत साहित्य विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – रसायन शास्त्र, बनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, बायोटेक्नालाजी, बायोकेमस्ट्री
3	20	राधाकृष्णन शिक्षण समिति, 49, लक्ष्मीनगर, श्रीगंगानगर	राधाकृष्णन कन्या महाविद्यालय, गगनपथ, जवाहर नगर (अरोड वंश भवन), श्रीगंगानगर	बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, संस्कृत साहित्य एवं बी.सी.ए. बी.बी.ए.
4	6	न्यू लुक स्कूल सोसायटी, न्यू लूक स्कूल, कोठारी हबेली, ओसवाल बाडा, बांसवाडा	न्यू लूक गर्ल्स कॉलेज, लोधा परिसर, बांसवाडा	एम.एल.एस. विश्वविद्यालय उदयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, संगीत वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त– ईएएफएम, एबीएसटी, व्यावसायिक प्रशासन विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – रसायन शास्त्र, बनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, बायोटेक्नालाजी, बायोकेम्स्ट्री

1. संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वंय की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे । तत्पश्चात संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा ।
2. संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।
3. अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाद्धकी कक्षायें चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है । इसी प्रकार अगले वर्षो में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे ।
5. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6. स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
7. महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी ।

पृ.ट.